

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

684.

अधिसूचना

पटना, दिनांक :- १६/०६/११

विभागीय अधिसूचना सं-०-४४७ दिनांक १९.०१.१० द्वारा बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के गठन के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं-०-४६० दिनांक १९.०१.१० सहपठित शुद्धि पत्र सं-०-५९२ दिनांक २५.०१.२०१० तथा संकल्प सं-०-२९०७ दिनांक २६.०३.१० द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त संवर्ग में नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक अंतरिम/कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्वीकृत पदों पर स्थानापन्न प्रभार देते हुये निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तंभ-७ में अंकित पद से स्थानांतरित करते हुये स्तंभ-८ में अंकित प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	RDD-ID NO.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	पैतृक विभाग का नाम	पूर्वधारित पद/जिला का नाम	नवपदस्थापित प्रखंड एवं जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	७१८२	RDD/000286	श्री राजीव रंजन निखार	रोहतास	श्रम विभाग	कार्यपालक दंडाधिकारी, झंझारपुर, मधुबनी	फेनहारा, पूर्वी चम्पारण
2	७१८३	RDD/000393	श्री देवेन्द्र राम	मुजफ्फरपुर	अनु.जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग	कार्यपालक दंडाधिकारी, अररिया	सोनवर्षा, सहरसा

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।
3. उक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में विभागीय संकल्प सं-०-४६० दिनांक १९.०१.१० सहपठित शुद्धि पत्र सं-०-५९२ दिनांक २५.०१.२०१० एवं संकल्प सं-०-२९०७ दिनांक २६.०३.१० द्वारा लिये गये निर्णय तथा इस संदर्भ में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित शर्त मान्य होंगे ।
4. कार्यावधि की समाप्ति के उपरांत उपरोक्त तालिका में प्रतिनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेगे ।
5. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने-अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान देकर निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करेंगे एवं प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे ।
6. उपरोक्त पदाधिकारी माह जुलाई, २०११ का वेतनादि नवपदस्थापन स्थान से प्राप्त करेंगे ।
7. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन के नियंत्री पदाधिकारी नवपदस्थापित प्रखंड से संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा नवपदस्थापित स्थान से संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को सेवापुस्त प्राप्त होने पर अपने अधीनस्थ कार्यालय में संधारित करेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

६/१६  
(अनिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- ७१८३

दिनांक:- १६/०६/११

ग्रा०वि०- २/स्था०-०१-०२/१०

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० के साथ (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

६/१६  
सरकार के अपर सचिव

- 683 -

ज्ञापांक:- ८१४३

दिनांक:- १६/०६/११

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा, निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

६/१६

ज्ञापांक:- ८१४३

दिनांक:- १६/०६/११

प्रतिलिपि- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी/ ग्रामीण विकास विभाग के प्रशाखा-2, 3 एवं 4/ग्रामीण विकास विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सभी संबंधित विभाग/ जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों के पदस्थापन की सूचना आज हीं अपने स्तर से उपलब्ध कराना एवं अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे ।

3. सभी संबंधित विभाग/ नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों को अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रभार ग्रहण करने हेतु अविलंब विरमित कर दिया जाय ।

4. सभी विभाग/ जिला पदाधिकारी स्थानांतरण से संबंधित विभागीय अधिसूचना वेबसाइट- [www.rdd.bih.nic.in](http://www.rdd.bih.nic.in) /सूचना एवं जनसमर्पक विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है इसे आज हीं डाउनलोड कर अग्रेटर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

5. संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि आदेश का तत्क्षण अनुपालन कराकर विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

६/१६

ज्ञापांक:- ८१४३

दिनांक:- १६/०६/११

सरकार के अपर सचिव

प्रतिलिपि- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री नवीन प्रिय, आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

६/१६

सरकार के अपर सचिव